नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Rajdhani - 26 Jul 2025 - 26raj1
epaper.navabharat.news

अभी नहीं होगी मुख्य सूचना आयुक्त व आयुक्त की नियुक्ति

बिलासपुर हाईकोर्ट में शासन ने की जारी स्थगन आदेश को हटाने की मांग

हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 29 जुलाई को

नवभारत रिपोर्टर। रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्य सूचना आयुक्त व आयुक्त की नियुक्ति को लेकर तय किए गए मापदंड को चुनौती देते हुए तीन अलग-अलग याचिका दायर की गई है। याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त के पदों पर होने वाली नियुक्तियों पर रोक लगा दी है।

आज इस मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने रिज्वाइंडर पेश करने कोर्ट से समय की मांग की, जिस पर कोर्ट ने दो दिन का समय दिया है। याचिका की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 जुलाई की तिथि तय कर दी है। सभी याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई चल रही है। आज जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने जारी स्थगन आदेश को हटाने की मांग की।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने रिज्वाइंडर पेश करने समय देने की मांग की, अधिवक्ताओं ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि सुनवाई की तिथि पर वे बहस करेंगे। अधिवक्ताओं के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने रिज्वाइंडर पेश करने के लिए दो दिन का समय दिया है।

कोर्ट ने नियुक्ति पर लगा दी थी रोक - कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 29 मई 2025 को मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त के पद पर की जाने वाली नियुक्ति में रोक लगा दी थी। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया कानूनी विवाद में उलझ गई है। अनुभव की नई शर्तों को चुनौती देते हुए दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इन पदों पर नियुक्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया है। शुक्रवार को जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय मांगा।

अनुभव की नई शर्तें बनी विवाद की जड़

याचिकाकर्ता अनिल तिवारी, डॉ.दिनेश्वर प्रसाद सोनी व अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि शासन ने सूचना आयुक्त एवं मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में अनुभव की अतिरिक्त शर्तें जोड़ दी हैं, जो नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान लागू नहीं की जा सकतीं। जब इन पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, तब अनुभव की विशेष शर्त निर्धारित नहीं थी, परंतु 9 मई 2025 को इंटरव्यू काल लेटर के साथ सर्च कमेटी ने विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क या प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों के अनुभव की अनिवार्यता जोड़ दी। मुख्य सूचना आयुक्त के लिए अनुभव सीमा 30 वर्ष कर दी गई। इसी आधार पर 172 में से केवल 51 आवेदकों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया।